–: प्रेस विज्ञप्ति :–

राज्य में मौसमी बीमारियों के प्रकोप को देखते हुए यह निर्णय लिया गया हैं कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा दिनांक 22.10.09 एवं 23.10.09 को जारी स्थानान्तरण आदेशों से जिन चिकित्सकों का स्थानान्तरण किया गया था उन्हें संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त किया जा चुका हैं, लेकिन उनके द्वारा नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण नहीं किया हैं, ऐसे चिकित्सकों को कार्यग्रहण करने का तीन दिवस का अवसर प्रदान किया जाता हैं। उच्चाधिकारियों के आदेश/निर्देश की पूर्णता अनुपालना नहीं करना अशोभनीय आचरण की श्रेणी में आचरण नियम–1971 के अन्तर्गत आता हैं।

अतः अनुपालना तीन दिवस में नहीं करने वाले चिकित्सकों को निलम्बित किया जाकर सख्त कार्यवाही की जायेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :– राजपत्रित/सामान्य/09/ 1173 दिनांक : 12/11/09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
5. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
6. प्रभारी, सर्वर कम्प्यूटर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान जयपुर।